



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-25032023-244685
CG-MH-E-25032023-244685

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1367]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 24, 2023/चैत्र 3, 1945

No. 1367]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 24, 2023/CHAITRA 3, 1945

रेल मंत्रालय

पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)

अधिसूचना

मुंबई, 23 मार्च, 2023

का.आ. 1420(अ).— केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'क' की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (II) तारीख 17 नवम्बर 2022 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिनियम संख्या का.आ. 5347 (अ) तारीख 16 नवम्बर 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है, द्वारा उक्त अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, मध्यप्रदेश राज्य विशेष रेल परियोजना अर्थात्, नीमच-रतलाम दोहरीकरण परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए आपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा की थी।

और, उक्त अधिनियम का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात् "दैनिक भास्कर (हिंदी)" व "राज एक्सप्रेस (हिंदी)" में अपर कलेक्टर एवं सक्षम अधिकारी जिला रतलाम द्वारा, तारीख 06 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित किया गया था और ग्राम करोदा में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है और सक्षम

प्राधिकारी को किसी भी व्यक्ति का कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ है और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20 (ड.) की उप-धारा (1) के अनुसरण में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है।

अतः अब, केंद्रीय सरकार सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम 1989 की धारा 20(ड.) की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित कि जाएगी।

और यह कि, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20(ड.) की उपधारा (2) के अनुसरण में यह और घोषणा करती है कि, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लिनामो से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यन्तिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

मध्यप्रदेश राज्य के रतलाम जिले में ग्राम करोदा का, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् अपर कलेक्टर, रतलाम के अधीन विशेष रेल परियोजना अर्थात् नीमच-रतलाम दोहरीकरण परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

ग्राम : करोदा

स. क्र.	प.ह.न.	खसरा संख्या	अर्जनीय भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार सिंचित /असिंचित	परिसम्पत्ति	भूमि मालिक का नाम/ हितवद्ध व्यक्तियों के नाम
01	21	83/2	0.007	सिंचित	निरंक	सज्जनबाई बैवा रामचंद्र बलाई
02	21	83/3	0.048	सिंचित	निरंक	अंबाराम पिता धुराजी
		131	0.029	असिंचित	निरंक	
03	21	132	0.004	असिंचित	निरंक	वेणीराम, रतनलाल, रामलाल, कंचन, मैना पिता तुलसीराम (अहस्तांतरणीय)
04	21	133	0.003	असिंचित	निरंक	गोविन्द पिता कारू, वेणीराम, रतनलाल, रामलाल, कंचन, मैना पिता तुलसीराम, धापुबाई बैवा तुलसीराम, मांगुबाई पिता हेमा जाति बलाई
05	21	125	0.093	सिंचित	निरंक	रमेशचंद्र पिता हीरालाल नाई
		113	0.066	सिंचित	निरंक	
06	21	108/1	0.587	सिंचित	एक नलकूप 500 फीट गहरा (चालू स्थिति में)	शाहरुख मंसूरी मोहम्मद शरीफ पिता मोहम्मद इलियाज़ मंसूरी
07	21	107	0.064	सिंचित	निरंक	कमलाबाई बैवा हीरालाल कुलंबी
योग			0.901			

[फा. सं. ई-ऑफिस E 259252-8]

राजकुमार वानखेडे, मुख्य अभियंता/निर्माण-III

MINISTRY OF RAILWAYS
WESTERN RAILWAY (CONSTRUCTION ORGANIZATION)
NOTIFICATION

Mumbai, the 23rd March, 2023

S.O. 1420(E).— Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O 5347 (E) dated the 17th November 2022 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 Sub-section (ii), dated the 16th November 2022 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20 (A) of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely Nimach-Ratlam Doubling Project in the State of Madhya Pradesh.

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely “Dainik Bhaskar (Hindi)” & “Raj Express (Hindi)” on 06th December 2022 by Upper Collector and Competent Authority, Ratlam (M.P.) under sub section (4) of section 20A of the said act;

And whereas, for Karoda village of Ratlam District, no objection received to the Upper Collector and competent Authority, Ratlam (M.P.);

And whereas, in pursuance of sub-section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed here to shall vest absolutely in the Central government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project – “Nimach-Ratlam Doubling Project” in Karoda village of Ratlam District under Upper Collector and Competent Authority for Land Acquisition Ratlam District in the State of Madhya Pradesh.

Village: Karoda

Sr. No.	P.H. No.	Khasara No.	Area of Land to be acquired in Hact.	Type of Land Irrigated/ Unirrigated	Assets	Name of landowner/Interested Person
01	21	83/2	0.007	Irrigated	Nil	Sajjanbai Beva Ramchandra Balai
02	21	83/3	0.048	Irrigated	Nil	Ambaram Father Duraji
		131	0.029	Unirrigated	Nil	
03	21	132	0.004	Unirrigated	Nil	Veniram, Ratanlal, Ramlal, Kanchan, Maina Father Tulsiram (Untransferable)
04	21	133	0.003	Unirrigated	Nil	Govind Father Karu, Veniram, Ratanlal, Ramlal, Kanchan, Maina Father Tulsiram, Dhapu Bai Beva Tulsiram, Mangubai Father Hema Cast Balai
05	21	125	0.093	Irrigated	Nil	Rameshchandra Father Hiralal Nai
		113	0.066	Irrigated		
06	21	108/1	0.587	Irrigated	1 Borehole 500 Feet (Running Condition)	Shahrukh Mansuri Mohammad Sharif Father Mohammad Iliyaz Mansuri
07	21	107	0.064	Irrigated		Kamlabai Beva Hiralal Kulambi
Total			0.901			

[F. No E-Office E 259252-8]

RAJKUMAR WANKHEDE, Chief Engineer (Construction) III